राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0 280/2025	तारीख रजू 07.07.2025	अंतिम निर्णय दिनांक 13-10-25

उनवानः

1. रघुवीरसिंह पुत्र बेगराज जाति चमार निवासी वार्ड नं. 2, वडवड तह0 बुहाना जिला झुन्झूनू राज0।

........वादी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र सेढू जाति खटीक निवासी काशीमपुर तह0 व जिला झुन्झूनू राज0
2. बनवारीलाल पुत्र छोटेलाल जाति चमार निवासी बिचपुरी तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
3. रामेश्वरदयाल पुत्र नारायणसिंह जाति चमार निवासी कांकरदोपा तह0 बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
4. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय, नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
5. श्रीमान् लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब, नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थितीः–श्री जितेन्द्रसिंह सामरिया योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से
श्री नोपेन्द्र कुमार शर्मा योग्य अधिवक्ता प्रति0 सं0 2 की ओर से
श्री वीरसिंह यादव योग्य अधिवक्ता प्रति0 सं0 3 की ओर से

।। निर्णय ।।

आज यह पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खसरा नम्बर हाल 711 रकबा 0.49 है0, 711/866 रकबा 0.16 है0, 712 रकबा 0.45 है0, 713 रकबा 0.60 है0, 714/836 रकबा 0.21 है0 वाके ग्राम माजराकाठ तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 मे स्थित है। जिसमे वादी हिस्सा–50/191 का मुताबिक जमाबन्दी खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के खातेदार प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 है। आराजी मुतनाजा बिना बटी हुई सामूहिक काश्त की आराजी है। जिसका विधिवत रूप से बंटवारा नही हुआ है। ऐसी सूरत मे आराजी मुतनाजा मे प्रत्येक खातेदार के हक हकूक निहित है। लेकिन प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा का बिना विधिवत रूप से बंटवारा करवाये ही आराजी मुतनाजा का अच्छा से अच्छा भाग जो अधिक कीमत व उपजाऊँ भूमि है उस पर जबरन कब्जा कर उसे अपनी बताकर दिगर जगह मुन्तकिल करना चाहते है या उस पर कच्चा पक्का निर्माण करना चाहते है। प्रतिवादीगण को आराजी मुतनाजा का विधिवत रूप से बंटवारा करवाने के लिए कई बार कहा जा चुका है लेकिन प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा का विधिवत रूप से बंटवारा करवाने से साफ इंकार कर दिया है। इसलिए मिन वादी आराजी मुतनाजा मे अपने खातेदारी हिस्से का अलग से तकासमा करवाकर अलग खाताबन्दी करवाने के अधिकारी है तथा आराजी मुतनाजा पर कुर्रे कायम किया जाकर कुर्रे रिपोर्ट के आधार पर आराजी मुतनाजा का विभाजन करने एवं प्रतिवादीगण को हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द किये जाने की प्रार्थना की गई।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये।

प्रतिवादी सं0 1 बाद तामिल न्यायालय मे उपस्थित नही होने पर उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई तथा प्रतिवादी सं0 2 की तरफ से श्री नोपेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया गया तथा प्रतिवादी सं0 3 की तरफ से श्री वीरसिंह यादव एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया गया। पत्रावली वास्ते जबाब दावा नियत की गई।

प्रतिवादी सं0 4,5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आया ।

वकील वादी द्वारा पत्रावली का निस्तारण करने का निवेदन किया कि किया।

हमने वकील वादी के निवेदन पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा पेश दावा, विभाजन आराजी का है। इसलिए दावा मे वर्णित खसरा नम्बर 711 रकबा 0.49 है0, 711/866 रकबा 0.16 है0, 712 रकबा 0.45 है0, 713 रकबा 0.60 है0, 714/836 रकबा 0.21 है0 वाके ग्राम माजराकाठ तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 राजस्व रिकार्ड मे वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 की सहखातेदारी मे दर्ज है इसलिए सभी काश्तकारो के हितो के ध्यान मे रखते हुऐ आराजी मुतनाजा का विभाजन बिना कुर्रे रिपोर्ट के किया जाना सम्भव नही है। इसलिए वादी के वाद पत्र को दिनांक 13.08.2025 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर,तहसीलदार नीमराना को आदेशित किया गया कि उभय पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्ता संबंधि राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2004 को दृष्टिगत रखते हुऐ विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय मे भिजवाई जावे।

तहसीलदार नीमराना द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 13.08.2025 की पालना मे वादग्रस्त खसरा नम्बर 711 रकबा 0.49 है0, 711/866 रकबा 0.16 है0, 712 रकबा 0.45 है0, 713 रकबा 0.60 है0, 714/836 रकबा 0.21 है0 वाके ग्राम माजराकाठ तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 की कुर्रे रिपोर्ट मय नक्शा दिनांक 18.08.2025 को तैयार करवाकर, इस न्यायालय मे दिनांक 09.10.2025 को पेश की गई। उभय पक्ष के अधिवक्गण उपस्थित तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट के विरूद्ध कोई आपत्ति पेश नही की गई। इसलिए तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिर्पोट के आधार पर वादी का वाद अंतिम रूप से डिक्री होने योग्य पाया जाता है।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादी,तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश, कुर्रे रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) तैयार दिनांक 18.08.2025 के मुताबिक खसरा नम्बर 711 रकबा 0.49 है0, 711/866 रकबा 0.16 है0, 712 रकबा 0.45 है0, 713 रकबा 0.60 है0, 714/836 रकबा 0.21 है0 वाके ग्राम माजराकाठ तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 के तकसीम की डिक्री निम्न प्रकार से जारी की जाती है किः–

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	रघुवीर पुत्र वेगराज सम्पूर्ण जाति चमार सा. वार्ड नं0 2, बडबड तहसील बुहाना (झुन्झूनू) राज.	711/1 712/1 713/1 714/836	0.15 0.06 0.08 0.21
		कुल किता–4 रकबा 0.50 है0	

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	बाबुलाल पुत्र सेढू हिस्सा सम्पूर्ण जाति खटीक सा0 काशिमपुर तहसील व जिला झुन्झूनी राज.खातेदार	711/866/01	0.03
		711/2	0.08
		712/2	0.09
		713/02	0.13
		कुल किता–4 रकबा 0.33 है0	

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	बनवारीलाल पुत्र छोटेलाल हि0 16/27 जाति चमार सा0 बिचपुरी तह0 नीमराना खातेदार	711/866/02	0.13
		711/3	0.26
2.	रामेश्वरदयाल पुत्र नारायणसिंह हि0–11/27 जाति चमार सा0 कांकरदोपा तह0 बहरोड खातेदार ।	712/3	0.30
		713/03	0.39
		कुल किता–4 रकबा 1.08 है0	

उपरौक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमल दरामद किये जाने एवं राजस्व नक्शा मे, कुर्रे रिपोर्ट मे दर्शित नक्शा के मुताबिक तितम्बा काटने के आदेश दिये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग भी रहेगा। खर्चा वाद, पक्षकार अपना–अपना वहन करेगें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

अंतिम निर्णय आज दिनांक 13-10-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

।। पर्चा डिक्री ।।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0 280 / 2025	तारीख रजू 07.07.2025	अंतिम निर्णय दिनांक 13-10-25

उनवान:

1. रघुवीरसिंह पुत्र बेगराज जाति चमार निवासी वार्ड नं. 2, बडबड तह0 बुहाना जिला झुन्झूनू राज0। ....वादी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र सेढू जाति खटीक निवासी काशीमपुर तह0 व जिला झुन्झूनू राज0
2. बनवारीलाल पुत्र छोटेलाल जाति चमार निवासी बिचपुरी तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
3. रामेश्वरदयाल पुत्र नारायणसिंह जाति चमार निवासी कांकरदोपा तह0 बहरोड जिलाकोटपूतली–बहरोड राज0।
4. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय, नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
5. श्रीमान् लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब, नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थिती:–श्री जितेन्द्रसिंह सामरिया योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से
श्री नोपेन्द्र कुमार शर्मा योग्य अधिवक्ता प्रति0 सं0 2 की ओर से
श्री वीरसिंह यादव योग्य अधिवक्ता प्रति0 सं0 3 की ओर से

।। आदेश ।।

अतः वाद वादी,तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश, कुर्रे रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) तैयार दिनांक 18.08.2025 के मुताबिक खसरा नम्बर 711 रकबा 0.49 है0, 711 / 866 रकबा 0.16 है0, 712 रकबा 0.45 है0, 713 रकबा 0.60 है0, 714 / 836 रकबा 0.21 है0 वाके ग्राम माजराकाठ तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 के तकसीम की डिक्री निम्न प्रकार से जारी की जाती है किः–

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	रघुवीर पुत्र बेगराज सम्पूर्ण जाति चमार सा. वार्ड नं0 2, बडबड तहसील बुहाना (झुन्झूनू) राज.	711 / 1 712 / 1 713 / 1 714 / 836	0.15 0.06 0.08 0.21
		कुल किता–4 रकबा 0.50 है0	

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	बाबुलाल पुत्र सेढू हिस्सा सम्पूर्ण जाति खटीक सा0 काशिमपुर तहसील व जिला झुन्झूनी राज.खातेदार	711 / 866 / 01 711 / 2 712 / 2 713 / 02	0.03 0.08 0.09 0.13
		कुल किता–4 रकबा 0.33 है0	

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

क्र.स.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	बनवारीलाल पुत्र छोटेलाल हि0 16/27 जाति चमार सा0 विचपुरी तह0 नीमराना खातेदार	711/866/02	0.13
		711/3	0.26
2.	रामेश्वरदयाल पुत्र नारायणसिंह हि0–11/27 जाति चमार सा0 कांकरदोपा तह0 बहरोड खातेदार ।	712/3	0.30
		713/03	0.39
		कुल किता–4 रकबा 1.08 है0	

उपरौक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमल दरामद किये जाने एवं राजस्व नक्शा मे, कुर्रे रिपोर्ट मे दर्शित नक्शा के मुताबिक तितम्बा काटने के आदेश दिये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग भी रहेगा। खर्चा वाद, पक्षकार अपना–अपना वहन करेगें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 13-10-25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

महेन्द्रसिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
(आर ए एस)
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)